Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहनलाल बनाम कैलाश व अन्य दीवानी वाद संख्या 40/2017 सी.आई.एस.नंबर 47728-2014 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-09-2024	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण रमेशचंद व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का जवाब प्रतिवादीगण ने देना नहीं चाहा। बहस प्रार्थनापत्र सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण रमेशचंद व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बंध में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य एतराज यह लिया है कि प्रार्थीगण का वकालतनामा पेश नहीं हो रखा है तथा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि केवल गौरव शर्मा के हस्ताक्षर है, जो प्रकरण में पक्षकार नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता होना बताया है, इसलिए उनके कहने से उनके अधिवक्ता मानने के तथ्य से इस स्टेज पर इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई विधिक प्रतिनिधिगण हो, ये एतराज प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। वादी मोहनलाल का दिनांक 18-07-2024 को स्वर्गवास होना बताया गया है और स्वर्गवास के तुरन्त बाद दिनांक 23-07-2024 को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र नियत समयावधि में प्रस्तुत होने तथा विधिक प्रतिनिधिगण के सम्बंध में एतराज नही होने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण रमेशचंद व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी मोहनलाल की मृत्यु हो जाने से प्रार्थनापत्र में बताए गए विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिस्थापित कर अभिलेख पर लेने के आदेश दिए जाते हैं। वादी 07 दिन में संशोशित वाद शीर्षक तथा वकालतनामा प्रस्तुत करे। साक्ष्य वादी में गवाह के शपथपत्र तारीख से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और तारीख पर गवाह को उपस्थित रखे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 17-09-2024 को पेश हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती सरोज बनाम राजेश कुमार व अन्य दीवानी वाद संख्या 12/2016, 105/2010	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती सरोज बनाम राजेश कुमार व अन्य दीवानी वाद संख्या 12/2016, 105/2010	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए